फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी :– श्री मांगी बाई | **विपक्षी :– श्री रामेश्वर लाल**

किस्म मुकदमा – 128 भू.रा.अधि. | **पत्रावली संख्या : 116/22**

GCMS: 2022/180

कमांक	कार्यवाही विवरण

दिनाक : 26.07.2022

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण संख्या 1 से 3 के सम्मन बाद तामील प्राप्त। अनुपस्थित हैं। आवाजे दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। प्रकरण में प्रार्थी की बहस सुनी गई।

प्रार्थी द्वारा प्रकरण में पत्थरगढी किया जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रार्थी की बहस को सुना। प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि हैं। प्रार्थी के कथनानुसार विपक्षीगण प्रार्थी की भूमि के पड़ोसी है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि की सीमा को लेकर प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य विवाद बना रहता हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं हाने से पक्षकारों में आये दिन सीमा को लेकर विवाद बना रहता अतः सीमा को लेकर विवाद होने से विवाद समाप्ति के लिए पत्थरगढी किया जाना उचित हैं। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं।

---: आदेश :–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि संग्रामपुरा पटवार हल्का अमरपुरा(जा.) तहसील कानोड़ उदयपुर राज. में खाता संख्या नया 258 सवत् 2078 से 2081 पर अंकित आराजी नम्बर 257, 258, 259, 260 किता 4 रकबा 0.52[illegible] [illegible] भूमि [illegible] दिशाओ की सीमा की पत्थरगढी कर सीमा[illegible] कराया [illegible]। [illegible]रगढी हेतु तहसीलदार कानोड़ को 500/ [illegible]सौ रूपया [illegible]श्नर शूल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जा[illegible] [illegible] कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में भू–प्रबधन के बा[illegible] नये खसरा नंबरान के आधार पर पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पालना हेतु तहसीलदार कानोड़ को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भूगतान प्रार्थीगण अदा करेगें।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:52:13 IST
Reason: SelfAttested